FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), सोजत जिला पाली		पटवारी हल्का धाकड़ी तहसील सोजत जिला पाली

किस्म मुकदमा :: राजस्व विविध संख्या 75/2020

(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2020/00048)

अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2020	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत ग्राम धाकड़ी पटवार मण्डल धाकड़ी के खसरा नम्बर 2292/1 रकबा 0.80 है. किस्म बंजड़, जो तहसीलदार के पत्रांक/राजस्व/99/496 दिनांक 24.02.1999 के द्वारा खसरा नम्बर 2292 रकबा 6.34 है. में से 0.80 है. कृषि भूमि ऋषि श्रृग गौशाला धाकडी के नाम से लीज पर है, उक्त भूमि पर गौशाला संचालित नहीं है, बल्कि ग्राम धाकड़ी के अन्य खसरा नम्बर 506 व 507 की भूमि पर संचालित है। अतः उक्त आदेश एवं आदेश की पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 549 दिनांक 22.03.1999 को निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम धाकड़ी पटवार मण्डल धाकड़ी के खसरा नम्बर 2292/1 रकबा 0.80 है. किस्म बंजड़ का तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक राजस्व/99/496 दिनांक 24.02.1999 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 549 को इस आधार पर निरस्त करवाना चाहते है कि गौशाला उक्त आराजी पर संचालित नहीं होकर खसरा नम्बर 506 व 507 पर संचालित हो रही है तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 2292/1 की भूमि खाली पड़ी है। गौशाला को लीज पर भूमि का आवंटन जिला कलक्टर महोदय द्वारा किया जाता है, जिला कलक्टर द्वारा किए आवंटन एवं उसकी पालना में दर्ज नामान्तरकरण को धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत निरस्त नहीं करवाया जा सकता है, इस हेतु विधि में अलग से प्रावधान उपलब्ध है। परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को प्रेषित हो। बाद पालना पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली	